न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	06.04.2022	25.05.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 5 बलाई मोहल्ला बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक राज.

2–श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचनद एफ.बी.ओ. मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ए–4 अनाज मण्डी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक राज. निवासी नजर बाग रोड सब्जी मण्डी बडा कुंआ टोंक राज.

3–श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूनानक मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. निवासी पटवा मार्केट देवली जिला टोंक राज.

4–श्री कुनाल चन्दानी पुत्र श्री सुरेश कुमार चन्दानी एफ.बी.ओ. मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास के पास गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर राज. निवासी 31 शास्त्री नगर ब्यावर जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 25.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2021 को समय बाद दोपहर 11:41 ए.एम. पर मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** दुकान की रैक में 910–910 ग्राम के 18 नग बोतल पैक रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन व गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **डबल फिल्टर्ड मूंगफली**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तेल शुभ मंगल ब्राण्ड **(Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** जिसके बैच नम्बर 08 एवं पैकिंग की दिनांक 01.08.2021 थी, को ज्यों का त्यों वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, के 910–910 ग्राम के 4 नग बोतल पैक कुल 3640 ग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** 910–910 ग्राम के 4 नग बोतल पैक में से 910–910 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2941 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2941 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन ने मौक पर बतौर वारन्टी मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ए–4 अनाज मण्डी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ए–4 अनाज मण्डी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व बतौर वारन्टी मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूनानक मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूनानक मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व बतौर वारन्टी मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास के पास गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास के पास गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व आधार कार्ड की प्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3164 दिनांक 30.10.2021 के द्वारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1259/एक्ट/2021/1285 दिनांक 30.10.2021 के अनुसार विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 अनु.। अप्राथी सं. 2,3 व 4 उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Double Filtered Groundnut Oil Shubh mangal Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रुपये 40,000/-(अक्षरे चालीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रुपये 40,000/- (अक्षरे चालीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रुपये 40,000/- (अक्षरे चालीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 4 पर शास्ति रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रू.) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0